

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-25102025-267134
SG-DL-E-25102025-267134असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 316]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 16, 2025/आश्विन 24, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 291
No. 316]	DELHI, THURSDAY, OCTOBER 16, 2025/ASVINA 24, 1947	[N. C. T. D. No. 291

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIगृह (डीओपी) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2025

फा. सं. 11/43/गृह-डीओपी/2025/764-777.—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सक्षम प्राधिकारी एतद् द्वारा, श्री अखंड प्रताप सिंह, अधिवक्ता को दिनांक 11.07.2025 के अपने पत्र के माध्यम से दिल्ली पुलिस द्वारा यथा प्रस्तावित निम्नलिखित शुल्क संरचना पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(4) तथा मकोका अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत पुलिस थाना अमन विहार, (पुलिस थाना स्पेशल स्टाफ/रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में जांच की गई) दिल्ली एफआईआर संख्या 710/2024 के मामले में माननीय परीक्षण न्यायालय एवं माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करते हैं :-

कार्य का विवरण	प्रस्तावित शुल्क
उपस्थिति शुल्क (प्रभावी)	40,000 /— रुपये
सम्मेलन/परामर्श शुल्क	20,000 /— रुपये
याचिका/संशोधन प्रारूपण, आदि	1,00,000 /— रुपये
प्रारूपण शुल्क प्रति आवेदन	25,000 /— रुपये
आवेदन का उत्तर	25,000 /— रुपये
लिपिकीय	कुल बिल राशि का 10 प्रतिशत

यह माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
संजीव कुमार शर्मा, उप-सचिव

HOME (DOP) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 16th October, 2025

F. No. 11/43/H-DOP/2025/764-777.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 18 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023, the Competent Authority is pleased to appoint Sh. Akhand Pratap Singh, Advocate as Special Public Prosecutor to represent the State before the Ld. Trial Court as well as Hon'ble High Court of Delhi in the matter of case FIR No. 710/2024, U/s 308(4) BNS & 3 MCOC Act, P.S. Aman Vihar (investigated at P.S. Spl. Staff/Rohini District), Delhi on the following fee structure as proposed by Delhi Police vide their letter dated 11.07.2025:-

Detail of work	Proposed Fee
Appearance fee (effective)	Rs. 40,000/-
Conference/consultation fee	Rs. 20,000/-
Drafting Petition/revision, etc.	Rs. 1,00,000/-
Drafting fee per application	Rs.25,000/-
Reply to application	Rs.25,000/-
Clerkage	10% of the total billing amount

This issues with the approval of Hon'ble Lieutenant Governor, GNCT of Delhi.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
SANJEEV KUMAR SHARMA, Dy. Secy.